

गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर (3, 6 माह) दिशा-निर्देश सत्र 2020-21

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 4 एवं राजस्थान के आर्टीई नियम 2011 के नियम 6 में शिक्षा से वंचित बालक-बालिकाओं (OoSC) को आयु अनुरूप कक्षा की दक्षता प्राप्त करने हेतु विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है। उक्त प्रावधान की क्रियान्विति हेतु सत्र 2020-21 में राजस्थान में शिक्षा से वंचित बालक-बालिकाओं में आयु अनुरूप कक्षा में प्रवेशोपरान्त उस कक्षा की दक्षता विकसित करने तथा बाल सुधार गृह के बाल अपचारी बच्चों की वैकल्पिक शिक्षा की व्यवस्था हेतु 3 माह, 6 माह का गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर का संचालन किया जाना है। इस गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश इस प्रकार से हैं:-

सामान्य कार्य प्रक्रिया:-

(1) विशेष प्रशिक्षण शिविर हेतु पात्र बालक-बालिकाओं की पहचान:-

- शिक्षा से वंचित बालक-बालिकाओं के संबंध में सूचना नवीन हाउस होल्ड सर्वे एवं पूर्व में संधारित VER/WER पंजिकाओं से प्राप्त की जाकर उनके विद्यालय नामांकन हेतु प्रयास करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में पीईईओ (सीआरसी) एवं शहरी क्षेत्र में सीआरसी सम्बन्धित शाला प्रधान को प्रेरित करें।
- ग्रामीण क्षेत्र में पीईईओ (सीआरसी) एवं शहरी क्षेत्र के सीआरसी अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले विद्यालय में चालू सत्र में नामांकित शिक्षा से वंचित बालक-बालिकाओं की आयु अनुरूप कक्षा की दक्षता की जाँच संलग्न मानक मापदण्ड अनुसार संबंधित विद्यालय के माध्यम से करवायेंगे। जाँच के पश्चात् निम्नानुसार समूह बनायेंगे एवं यह निर्धारित करेंगे कि कितने बालक-बालिकाओं को तीन (03), छः (06) माह की अवधि के लिए विशेष प्रशिक्षण दिये जाने की आवश्यकता है:-

तालिका-1

स्तर	आयु समूह	कक्षा अनुरूपता	कुल बालक संख्या		कुल बालिका संख्या		सर्व योग	
			तीन माह	छः माह	तीन माह	छः माह	तीन माह	छः माह
1	7-9 वर्ष	कक्षा 1 से 3						
2	9-11 वर्ष	कक्षा 4 से 5						
3	11-13 वर्ष	कक्षा 6 से 7						
4	13+	कक्षा 8						
योग								

- शिक्षा से वंचित बालक-बालिकाओं का नाम आयु अनुरूप कक्षा में एस.आर. पंजिका में दर्ज कर उनके नाम के आगे विशेष प्रशिक्षण शिविर, स्थल का नाम अंकित कर दिया जावे एवं इस अनुसार शाला दर्पण पोर्टल पर अंकन करवाया जायेगा।
- (2) विशेष प्रशिक्षण शिविर हेतु पात्र बालक-बालिकाओं की संख्या एवं शिविरों का निर्धारण:-
- ग्रामीण क्षेत्र में पीईईओ (सीआरसी) एवं शहरी क्षेत्र के सीआरसी उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले विद्यालय के माध्यम से विशेष प्रशिक्षण शिविर हेतु पात्र विद्यार्थियों के अभिभावकों की इस विषय में सहमति प्राप्त करेंगे कि वे अपने पुत्र/ पुत्री को आवासीय विशेष प्रशिक्षण से जोड़ना चाहते हैं या गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण दिलाना चाहते हैं। सहमति प्राप्त होने के उपरान्त ग्रामीण क्षेत्र में पीईईओ (सीआरसी) एवं शहरी क्षेत्र के सीआरसी 3, 6 माह की अवधि वाले गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर के लिए प्रशिक्षणार्थियों की कुल संख्या का निर्धारण करेंगे।
 - गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर के प्रशिक्षणार्थी 15 बालक-बालिकाओं के लिए एक शिविर आयोजित किया जाएगा अर्थात् शिक्षा से वंचित 15 विद्यार्थियों के प्रत्येक समूह के लिए एक शिविर संचालित होगा। बालक-बालिकाओं की संख्या 15 से कम होने पर उन प्रशिक्षणार्थियों में कक्षा स्तर

- अनुरूप दक्षता का विकास करने के लिए उन्हें उस परिक्षेत्र में संचालित अन्य गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर में अध्ययन हेतु शामिल किया जावेगा, पृथक् से शिविर संचालित नहीं होगा।
- (c) ग्रामीण क्षेत्र में पीईईओ (सीआरसी) एवं शहरी क्षेत्र के सीआरसी प्रशिक्षणार्थी संख्या एवं शिविर स्थल को ध्यान में रखकर शिविरों की कुल संख्या का निर्धारण करेंगे।
- (d) तीन माह की अवधि, 6 माह की अवधि वाले शिविरों का संचालन पृथक्-पृथक् किया जावेगा।
- (e) संबंधित विद्यालय के शिक्षक निर्धारित प्रारूप (संलग्न परिशिष्ट-2 के अनुसार) में बालक-बालिकाओं के आवेदन पत्र भरवाकर संधारित करेंगे।
- (3) **गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर हेतु शिविर स्थल का चयन एवं शिविर संचालन हेतु प्रस्ताव तैयार करवाना:-**
- (a) तीन माह, छः माह की अवधि हेतु प्रशिक्षित किये जाने वाले शिक्षा से वंचित बालक-बालिकाओं की संख्या, सुविधा एवं स्थान की उपलब्धता अनुसार शिविर स्थल का चयन ग्रामीण क्षेत्र में पीईईओ (सीआरसी) एवं शहरी क्षेत्र के सीआरसी द्वारा किया जावेगा। स्थल चयन करते समय निम्न तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाये :-
- गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर यथा संभव राजकीय विद्यालय भवन, सामुदायिक भवन या समाज द्वारा उपलब्ध कराये गए ऐसे भवनों में संचालित किये जायेंगे जो बालक/बालिकाओं की संख्या अनुसार उपयुक्त एवं सुरक्षित, यथा संभव बिजली, पानी एवं शौचालय की समुचित व्यवस्था वाले हों।
 - यदि उक्तानुसार भवन उपलब्ध नहीं हो तो पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर सीबीईओ किराये पर भवन लेने की स्वीकृति जारी करेंगे। किराये पर लिए गए भवन के किराये की व्यवस्था जन-सहयोग से की जावेगी।
 - यदि विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या विद्यालय विशेष में 15 से कम हो तो ग्रामीण क्षेत्र में पीईईओ (सीआरसी) एवं शहरी क्षेत्र के सीआरसी द्वारा उनके क्षेत्राधिकार स्थित अन्य विद्यालय के विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए अधिकतम विद्यार्थी संख्या वाले विद्यालय/ बहुसंख्या विद्यार्थियों के आवास स्थान के नजदीक के स्थान का प्रशिक्षण स्थल के रूप में चयन किया जायेगा।
 - इच्छुक बालक-बालिकाओं की संख्या कम होने की स्थिति में अभिभावकों की सहमति से पूरे ब्लॉक में एक ही गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर का भी संचालन किया जा सकता है।
- (b) स्थान के चयन उपरान्त ग्रामीण क्षेत्र में पीईईओ (सीआरसी) एवं शहरी क्षेत्र के सीआरसी जिस विद्यालय में शिविर संचालन किया जाना है उसकी या विद्यालय भवन से भिन्न स्थान का चयन होने पर उस चयनित स्थान के निकटतम स्थित राजकीय विद्यालय की एस.एम.सी. के माध्यम से शिविर संचालन का प्रस्ताव परिशिष्ट-1 के अनुसार तैयार कर सीबीईओ के माध्यम से अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करवायेंगे।
- (c) अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर का प्रस्ताव प्राप्त होने के अधिकतम 7 दिवस में जाँच व तदनुसार अनुमोदन कर प्रस्ताव की स्वीकृति जिला परियोजना समन्वयक से करवा कर संबंधित सीबीईओ के माध्यम से सीआरसी को सूचित करेंगे।
- (d) प्रस्ताव स्वीकृति की सूचना प्राप्त होते ही ग्रामीण क्षेत्र में पीईईओ (सीआरसी) एवं शहरी क्षेत्र के सीआरसी गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर की समस्त तैयारी एवं आवश्यक व्यवस्था आदि कर एसएमसी/एसडीएमसी के माध्यम से शिविर संचालन प्रारम्भ करेंगे, शिविर आरम्भ दिनांक की सूचना अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक को सूचित करेंगे। नामांकित बच्चों की सूचना सीबीईओ शाला दर्पण पोर्टल पर निम्नलिखित मॉड्यूल में प्रविष्ट करेंगे -

CBE0 Login → Management → School → विशेष प्रशिक्षण शिविर संचालित करने वाले विद्यालय / एनजीओ की प्रविष्टि।

(4) **शैक्षिक व्यवस्था:-**

- (a) गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर में शैक्षिक कार्य प्रशिक्षित योग्य एज्यूकेशन वॉलन्टियर (एज्यूकेशन वॉलन्टियर) द्वारा किया जावेगा।
- (b) गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर में 15 से 20 बालक-बालिकाओं को प्रशिक्षित करने हेतु एक एज्यूकेशन वॉलन्टियर होगा। बालक-बालिकाओं की संख्या एक शिविर में 20 से अधिक व 30 से कम होने पर एज्यूकेशन वॉलन्टियर की सहायता हेतु एक सहायक एज्यूकेशन वॉलन्टियर नियुक्त किया जावेगा। इस प्रकार आवश्यक एज्यूकेशन वॉलन्टियर एवं सहायक एज्यूकेशन वॉलन्टियर की संख्या निर्धारित की जायेगी।

(c) **एज्युकेशन वॉलेंटियर का चयन-**

- एज्युकेशन वॉलेंटियर व सहायक एज्युकेशन वॉलेंटियर चयन की प्रक्रिया एस.एम.सी. द्वारा पात्र बालक-बालिकाओं की संख्या निर्धारित होने के बाद गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर प्रस्ताव भिजवाने के साथ प्रारम्भ कर दी जावे ताकि प्रस्ताव स्वीकृत होते ही शिविर प्रारम्भ किये जा सके।
- एज्युकेशन वॉलेंटियर व सहायक एज्युकेशन वॉलेंटियर के प्रभावी चयन हेतु आवश्यक संख्या, उनके द्वारा किये जाने वाले कार्य, देय मानदेय, योग्यता/ चयन के आधार के संबंध में एस.एम.सी. द्वारा व्यापक प्रचार प्रसार सार्वजनिक स्थल, विद्यालय, सरकारी कार्यालय, ग्राम पंचायत/ नगरपालिका कार्यालय आदि में नोटिस चस्पा कर व अन्य माध्यम से किया जावे।
- ग्रामीण क्षेत्र में पीईईओ (सीआरसी) एवं शहरी क्षेत्र के सीआरसी के निर्देशन में एसएमसी के माध्यम से एज्युकेशन वॉलेंटियर (EV) का चयन निम्न वरीयता क्रम में किया जाएगा:-
 - (i) सेवानिवृत्त स्थानीय शिक्षक जिनकी अधिकतम आयु 65 वर्ष से कम एवं पूर्णतः स्वस्थ हो।
 - (ii) अन्य प्रशिक्षित स्थानीय व्यक्ति।
- एज्युकेशन वॉलेंटियर चयन में प्रथम प्राथमिकता सेवानिवृत्त स्थानीय शिक्षक को दी जायेगी जिसकी आयु 65 वर्ष से कम एवं पूर्णतः स्वस्थ हो।
- एज्युकेशन वॉलेंटियर का कार्य करने हेतु एक से अधिक सेवानिवृत्त स्थानीय शिक्षक उपलब्ध होने पर तालिका 02 पर वर्णित अंकभार के अनुसार मैरिट निर्धारित कर चयन किया जावेगा।
- एज्युकेशन वॉलेंटियर चयन हेतु सेवानिवृत्त शिक्षक उपलब्ध नहीं होने पर प्रशिक्षित स्थानीय व्यक्ति का चयन तालिका-2 के आधार पर मैरिट निर्धारित कर किया जायेगा।
- एस.एम.सी. एज्युकेशन वॉलेंटियर एवं सहायक एज्युकेशन वॉलेंटियर का चयन कर एक पैनल तैयार करेगी एवं पैनल से मैरिट लिस्ट में प्रथम स्थान प्राप्त अभ्यर्थी को एज्युकेशन वॉलेंटियर हेतु चयनित करेगी तथा आकस्मिक स्थिति में भी इस पैनल में से मैरिट अनुसार उपलब्ध अभ्यर्थियों का चयन करेगी।

(d) **सहायक एज्युकेशन वॉलेंटियर का चयन:-**

- सहायक एज्युकेशन वॉलेंटियर का चयन अनिवार्यतः B.Ed./ BSTC interns में से तालिका 02 पर वर्णित अंकभार के आधार पर मैरिट निर्धारित कर किया जायेगा।
- सहायक एज्युकेशन वॉलेंटियर के रूप में B.Ed./ BSTC interns की उपलब्धता होने पर उनको मानदेय का भुगतान नहीं किया जावेगा (यह प्रक्रिया उनके प्रशिक्षण का हिस्सा है)।
- B.Ed./ BSTC interns **अनुपलब्ध होने पर** स्थानीय स्नातक व्यक्ति का सहायक एज्युकेशन वॉलेंटियर के रूप में चयन तालिका 02 पर वर्णित अंकभार के आधार पर मैरिट निर्धारित कर किया जायेगा।

तालिका 02

योग्यता	प्रतिशत	अंक भार		
		एज्युकेशन वॉलेंटियर हेतु	सहायक एज्युकेशन वॉलेंटियर हेतु	स्थानीय स्नातकधारी हेतु
दसवीं	60 व 60 से अधिक प्रतिशत	10 अंक	10 अंक	10 अंक
	50 व 50 से अधिक एवं 59 प्रतिशत तक	5 अंक	5 अंक	5 अंक
	45 से अधिक एवं 49 प्रतिशत तक	3 अंक	3 अंक	3 अंक
बारहवीं	60 व 60 से अधिक प्रतिशत	10 अंक	10 अंक	10 अंक
	50 व 50 से अधिक एवं 59 प्रतिशत तक	5 अंक	5 अंक	5 अंक
	45 से अधिक एवं 49 प्रतिशत तक	3 अंक	3 अंक	3 अंक
BSTC/ B.Ed.	प्रथम श्रेणी	5 अंक	-	-
	द्वितीय श्रेणी	3 अंक	-	-
	तृतीय श्रेणी	1 अंक	-	-
स्नातक	60 व 60 से अधिक प्रतिशत	-	-	5 अंक
	50 व 50 से अधिक एवं 59 प्रतिशत तक	-	-	3 अंक
	45 से अधिक एवं 49 प्रतिशत तक	-	-	1 अंक
साक्षात्कार	-	5 अंक	5 अंक	5 अंक
कुल अंक		30 अंक	25 अंक	30 अंक

(e) एज्यूकेशन वॉलंटियर का प्रशिक्षण-

- एज्यूकेशन वॉलंटियर का प्रशिक्षण करवाने की समस्त जिम्मेदारी सीबीईओ की होगी।
- एज्यूकेशन वॉलंटियर को 7 दिवस का प्रशिक्षण शिविर प्रारम्भ के साथ-साथ दिया जावेगा। शिविर के प्रारम्भ में एज्यूकेशन वॉलंटियर प्रथम 5 दिन तक 2 घण्टे प्रतिदिन विशेष प्रशिक्षण शिविर में उपस्थित रहकर शिविर संचालन हेतु ग्रामीण क्षेत्र में पीईईओ (सीआरसी) एवं शहरी क्षेत्र के सीआरसी द्वारा नामित शिक्षक के कार्य में सहायता करेगा एवं उसके बाद सीबीईओ कार्यालय में प्रशिक्षण लेने हेतु जायेगा। छठे दिन एज्यूकेशन वॉलंटियर गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर में कार्यरत शिक्षक की देखरेख में शिक्षण कार्य करेंगे एवं सातवें दिन गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर के प्रशिक्षणार्थियों के पोर्टफोलियो को साथ ले जाकर सीबीईओ कार्यालय में आर.पी. की देखरेख में शिक्षण पाठ योजना/ कार्य योजना तैयार करेंगे। छः माह गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर वाले एज्यूकेशन वॉलंटियर को 7 दिवस के उक्त प्रशिक्षण के अलावा तीन दिवसीय आमुखीकरण प्रशिक्षण; दीपावली अवकाश या शीतकालीन अवकाश के दौरान सीबीईओ कार्यालय द्वारा दिया जायेगा।
- चयनित एज्यूकेशन वॉलंटियर को परिषद् की प्रशिक्षण शाखा द्वारा तैयार मॉड्यूल अनुसार ब्लॉक स्तर पर सीबीईओ के निर्देशन में नामित आर.पी. के द्वारा प्रशिक्षण दिया जायेगा। 3 माह के गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर हेतु 7 दिवस का तथा 3 माह एवं 6 माह के गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर हेतु कुल 10 दिवस का प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा इसके लिए एज्यूकेशन वॉलंटियर को सीबीईओ कार्यालय तक आने-जाने का वास्तविक किराया देय होगा जो अधिकतम 50/- रुपये प्रतिदिन होगा।
- सहायक एज्यूकेशन वॉलंटियर को प्रशिक्षित नहीं किया जायेगा।
- एज्यूकेशन वॉलंटियर व सहायक एज्यूकेशन वॉलंटियर को शिविरा कलैण्डर अनुसार मध्यावधि/शीतकालीन तथा जिला कलक्टर/ राज्य सरकार द्वारा घोषित अवकाश एवं परिषद् से संचालित गतिविधि में सम्मिलित होने के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का अवकाश देय नहीं है।
- एज्यूकेशन वॉलंटियर व सहायक एज्यूकेशन वॉलंटियर का चयन वैकल्पिक शिक्षा के अन्तर्गत संचालित गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर हेतु एक निर्धारित अवधि के लिए किया जा रहा है, जो वित्तीय सत्र की समाप्ति तक आवश्यकतानुसार संचालित किए जायेंगे।
- एज्यूकेशन वॉलंटियर व सहायक एज्यूकेशन वॉलंटियर को कभी भी नियमित नहीं किया जा सकेगा।

(f) मानदेय:-

• एज्यूकेशन वॉलंटियर का मानदेय-

- 15 से 20 प्रशिक्षणार्थी तक एक एज्यूकेशन वॉलंटियर कार्य करेगा। एज्यूकेशन वॉलंटियर का मानदेय निम्नानुसार होगा:-

तालिका-3

छात्र संख्या	एज्यूकेशन वॉलंटियर का मानदेय प्रति माह
1 से 15 तक	12/- रुपये प्रति विद्यार्थी प्रति कार्य दिवस के अनुसार या अधिकतम 4500/- रुपये, जो भी कम हो।
16 से 20	12/- रुपये प्रति विद्यार्थी प्रति कार्य दिवस के अनुसार या अधिकतम 5000/- रुपये, जो भी कम हो।
21 से 25	12/- रुपये प्रति विद्यार्थी प्रति कार्य दिवस के अनुसार या अधिकतम 5500/- रुपये, जो भी कम हो।
26 से 29	12/- रुपये प्रति विद्यार्थी प्रति कार्य दिवस के अनुसार या अधिकतम 6000/- रुपये, जो भी कम हो।

• सहायक एज्यूकेशन वॉलंटियर का मानदेय:-

- 20 से अधिक प्रशिक्षणार्थी होने पर एज्यूकेशन वॉलंटियर की सहायता हेतु एक सहायक एज्यूकेशन वॉलंटियर लगाया जायेगा।
- 21 प्रशिक्षणार्थी संख्या होने पर सहायक एज्यूकेशन वॉलंटियर का मानदेय 1000/- रुपये प्रति माह होगा एवं 22 से 29 तक प्रशिक्षणार्थी संख्या होने पर 10/- रुपये प्रति बालक प्रति कार्य दिवस के अनुसार सहायक एज्यूकेशन वॉलंटियर को अतिरिक्त मानदेय का भुगतान किया जायेगा।
- एज्यूकेशन वॉलंटियर एवं सहायक एज्यूकेशन वॉलंटियर को प्रति माह दिये जाने वाले मानदेय में से 10 प्रतिशत का भुगतान बाह्य मूल्यांकन के बाद किया जायेगा।
- मानदेय का भुगतान आधार लिंकड बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जायेगा।

9) शिक्षण, शिक्षण सामग्री एवं सामान्य निर्देश:-

- a. ग्रामीण क्षेत्र में पीईईओ (सीआरसी) एवं शहरी क्षेत्र के सीआरसी अपने-अपने क्षेत्राधिकार में संचालित होने वाले गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर का प्रथम 7 दिवस की अवधि में संचालन करने हेतु अपने क्षेत्राधिकार स्थित राजकीय विद्यालयों में से एक शिक्षक को नामित करेंगे। यह शिक्षक यथा संभव नामांकित विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में शिक्षकों के आधिक्य वाले विद्यालय से होगा।
- b. उक्त शिक्षक शिविर प्रारम्भ होने के प्रथम 5 दिवस में शिविर में नामांकित बालक-बालिकाओं हेतु अनुकूलन गतिविधियाँ करावेगा। इस दौरान क्षेत्रीय खेलकूद, साँस्कृतिक एवं अन्य बाल मनोरंजक गतिविधियाँ संचालित कर बच्चों में शिक्षा के प्रति रुचि पैदा की जाकर शिविर में अनुकूलन की कार्यवाही होगी एवं वह प्रशिक्षणार्थियों का पोर्टफोलियो (परिशिष्ट-2 का प्रपत्र-2) एज्यूकेशन वॉलन्टियर की सहायता से तैयार करेगा।
- c. शिविर में प्रशिक्षित किये जा रहे प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी में वांछित शैक्षिक स्तर के अनुरूप पैदा हुई समझ एवं विकसित दक्षता का मूल्यांकन प्रतिमाह मानक मापदण्ड (लर्निंग इन्डीकेटर) अनुसार तैयार प्रश्न पत्र द्वारा किया जायेगा। यह प्रश्न पत्र ग्रामीण क्षेत्र में पीईईओ (सीआरसी) एवं शहरी क्षेत्र के सीआरसी द्वारा मनोनित उच्च प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाने वाले शिक्षकों द्वारा तैयार किया जायेगा। उक्त मूल्यांकन का रिकार्ड एज्यूकेशन वॉलन्टियर द्वारा निर्धारित पोर्टफोलियो में रखा जायेगा।
- d. एज्यूकेशन वॉलन्टियर विद्यार्थियों का पोर्टफोलियो प्रतिमाह अपडेट करेगा।
- e. राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् द्वारा तैयार किया गया संघनित पाठ्यक्रम कक्षा 1 से 7 तक वैकल्पिक शिक्षा के अन्तर्गत संचालित गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविरों में पढ़ाया जाएगा।
- f. संघनित पाठ्यक्रम द्वारा एक कक्षा स्तर की दक्षताओं का विकास अधिकतम 3 माह में किया जायेगा।
- g. तीन माह की अवधि के लिए संचालित शिविर में प्रशिक्षणरत विद्यार्थियों का बाह्य जाँच दल, जिसमें मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी/प्रतिनिधि, सीआरसी तथा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा नामित आर. पी. सदस्य होंगे। इनके द्वारा शिविर का त्रैमासिक मूल्यांकन सीखने के मानक मापदण्डानुसार किया जायेगा। बाह्य मूल्यांकन के परिणाम (परिशिष्ट-7) के आधार पर शिविर में पंजीकृत बालक-बालिकाओं के कक्षा स्तर का निर्धारण करेंगे तथा परिणाम अनुसार निर्धारित कक्षा में उन्हें संबंधित विद्यालय में मैनेस्ट्रीम कराया जायेगा एवं नियमित अध्ययन-अध्यापन विद्यालय के माध्यम से सुनिश्चित कराया जायेगा। यह कक्षा बालक-बालिका की आयु अनुरूप कक्षा से भिन्न हो सकती है। इस प्रकार शिक्षा से वंचित बालक-बालिका का शाला दर्पण पोर्टल पर मैनेस्ट्रीमिंग अनुसार रिकार्ड अपडेट किया जायेगा एवं कक्षा भिन्न होने की स्थिति में तदनुसार एस.आर. पंजिका में परिवर्तन अंकित किया जायेगा।
- h. छः माह की अवधि के लिए संचालित शिविर में प्रशिक्षणरत विद्यार्थियों का बाह्य जाँच दल, जिसमें मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी/प्रतिनिधि, सीआरसी तथा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा नामित आर.पी. सदस्य होंगे, द्वारा शिविर का त्रैमासिक मूल्यांकन सीखने के मानक मापदण्डानुसार किया जायेगा। प्रथम बाह्य मूल्यांकन के परिणाम के आधार पर शिविर में पंजीकृत विद्यार्थियों के कक्षा स्तर का निर्धारण कर आगामी कक्षा के संघनित पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जायेगा। द्वितीय बाह्य मूल्यांकन के परिणाम के आधार पर शिविर में प्रशिक्षणरत विद्यार्थियों के कक्षा स्तर का निर्धारण कर उन्हें उस कक्षा में संबंधित विद्यालय में मैनेस्ट्रीम कराया जायेगा एवं नियमित अध्ययन-अध्यापन विद्यालय के माध्यम से सुनिश्चित कराया जायेगा। यह कक्षा बालक-बालिका की आयु अनुरूप कक्षा से भिन्न हो सकती है। इस प्रकार शिक्षा से वंचित बालक-बालिका का शाला दर्पण पोर्टल पर मैनेस्ट्रीमिंग अनुसार रिकार्ड अपडेट किया जायेगा एवं कक्षा भिन्न होने की स्थिति में तदनुसार एस.आर. पंजिका में परिवर्तन अंकित किया जायेगा।
- i. बालक-बालिकाओं को दोपहर का भोजन मिड-डे-मील योजनान्तर्गत मिलेगा। इस हेतु मिड-डे-मील का अतिरिक्त पोषाहार शिविर संचालन स्थल वाले विद्यालय को आवंटित किया जावे तथा उस विद्यालय को पोषाहार कम आवंटित किया जावे जहाँ पर उन बालक-बालिकाओं का आयु अनुरूप कक्षा में नामांकन हुआ है।

- j. सम्बन्धित एसएमसी/एसडीएमसी द्वारा आदेश क्रमांक समसा/जय/वै.शि./2018-19/11214 दिनांक 25.01.2019 की पालना में शिविर में अध्ययनरत बालक-बालिकाओं को भी मिड-डे मील व दूध आदि की व्यवस्थाओं से अन्य राजकीय विद्यालयों की भांति लाभान्वित किया जायेगा।
- k. विशेष प्रशिक्षण शिविर अवधि के दौरान शिविर संचालन स्थल की एसएमसी के प्रधानाध्यापक द्वारा शिविर में उपस्थित बालक-बालिकाओं एवं एज्यूकेशन वॉलन्टियर की उपस्थिति प्रतिदिन प्रमाणित की जाएगी।
- l. विशेष प्रशिक्षण शिविर की अवधि के दौरान शिविर स्थल की एस.एम.सी. की निगरानी में शिविर स्थल का संस्था प्रधान द्वारा दो माह में एक बार अध्यापक-अभिभावकों की बैठक आयोजित की जाएगी। कार्यवाही विवरण का परिशिष्ट-3 के अनुसार रिकार्ड संधारण किया जाएगा। इस बैठक में एज्यूकेशन वॉलन्टियर, अभिभावक एवं एस.एम.सी. मिलकर शिक्षा से वंचित बालक-बालिकाओं की नियमित उपस्थिति, उनकी शैक्षिक उपलब्धि तथा शिविर संचालन में आ रही समस्याओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे तथा समाधान स्थानीय स्तर पर खोजेंगे।
- m. विशेष प्रशिक्षण शिविर में अध्यापन करने वाले एज्यूकेशन वॉलन्टियर की एक दिवसीय मासिक बैठक का आयोजन ब्लॉक स्तर पर सीबीईओ द्वारा नामित आर.पी. के द्वारा किया जायेगा। बैठक दिवस को शिविर संचालन की वैकल्पिक व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्र में पीईईओ (सीआरसी) एवं शहरी क्षेत्र के सीआरसी के निर्देशन में शिविर स्थल की विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा की जायेगी। एज्यूकेशन वॉलन्टियर्स की मासिक बैठक में वैकल्पिक शिक्षा के कार्यक्रम प्रभारी (एपीसी) एवं आर.पी. शिविर संचालन संबंधी व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग करेंगे तथा एज्यूकेशन वॉलन्टियर के समक्ष प्रस्तुत शैक्षिक कठिनाइयों का निराकरण करेंगे तथा शिविर को बेहतर चलाने हेतु अपने सुझाव देंगे। शिविर का फीडबैक लिया जाकर बैठक की रिपोर्ट जिला कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।
- n. कक्षा स्तर अनुरूप दक्षता हासिल करने के बाद प्रवेश (मेनस्ट्रीम) कराये गये बालक/बालिकाओं की नामवार, किस विद्यालय की किस कक्षा में प्रवेश लिया, एस.आर. संख्या एवं दिनांक सहित पूर्व विवरण एवं समस्त रिकार्ड विशेष प्रशिक्षण शिविर समाप्ति के पश्चात् सीआरसी में रखा जायेगा।
- o. गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर में कार्यरत एज्यूकेशन वॉलन्टियर बालक/बालिकाओं की उपस्थिति सुनिश्चित करे अन्यथा उनके मानदेय में निरीक्षण के समय अनुपस्थिति के आधार पर कटौती की जा सकेगी।
- p. शिविरों का संचालन शिविरा पंचाग के अनुसार विद्यालय समय में किया जाएगा।
- q. विगत वर्षों में देखने में आया है कि जो शिविर विद्यालय परिसर में चल रहे हैं, उनमें कार्यरत एज्यूकेशन वॉलन्टियर को संस्था प्रधान द्वारा अन्य कक्षाओं के अध्यापन का दायित्व दे दिया जाता है, जो अनुचित है। एज्यूकेशन वॉलन्टियर केवल विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले बालक-बालिकाओं को ही अध्यापन कार्य करायेगा।
- r. विशेष प्रशिक्षण शिविर का सफल संचालन एवं उसकी व्यवस्था संबंधी समस्त उत्तरदायित्व तथा पूर्व निरीक्षण रिपोर्ट मय अनुपालना रिपोर्ट के निरीक्षणकर्ता को आवश्यक रूप से उपलब्ध कराने संबंधी दायित्व ग्रामीण क्षेत्र में पीईईओ (सीआरसी) एवं शहरी क्षेत्र के सीआरसी का होगा।

(6) मॉनिटरिंग एवं समीक्षा:-

- a. विशेष प्रशिक्षण शिविर के इम्प्लेमेंटेशन/ मॉनिटरिंग एवं रिव्यू हेतु त्रिस्तरीय व्यवस्था निम्नानुसार होगी:-
 - ग्राम पंचायत/ कस्बा स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र में पीईईओ (सीआरसी) एवं शहरी क्षेत्र के सीआरसी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा समीक्षा की जावेगी। इस समिति में उन विद्यालयों से संबंधित एक शिक्षक जिनके विद्यार्थी कक्षा स्तर अनुरूप दक्षता विकसित करने हेतु शिविर में पंजीकृत हैं सदस्य होंगे। यह कमेटी विशेष प्रशिक्षण शिविर के इम्प्लेमेंटेशन/ मॉनिटरिंग एवं वांछित सुधार हेतु उत्तरदायी रहेगी।
 - एस.डी.एम. की अध्यक्षता में होने वाली ब्लॉक स्तरीय निष्पादक समिति की बैठकों में विशेष प्रशिक्षण शिविरों की समीक्षा की जायेगी।

- जिलाधीश की अध्यक्षता में होने वाली जिला स्तरीय निष्पादक समिति की बैठकों में विशेष प्रशिक्षण शिविरों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी जिसकी समीक्षा की जायेगी एवं सुधार हेतु सुझाव दिये जायेंगे।
- b. मॉनीटरिंग कमेटी मासिक बैठक आयोजित कर शिविर का प्रबोधन करेगी एवं बैठक का कार्यवृत्त तैयार कर जिला कार्यालय को प्रेषित करेगी।

(7) दायित्व निर्धारण :-

1. डीपीसी/ एडीपीसी का दायित्व :-

- अपने जिले के 6-14 आयु वर्ग के समस्त बालक-बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति (शिक्षा से जुड़े हुए एवं शिक्षा से वंचित) का रिकार्ड रखना एवं उनको शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु अपने अधीनस्थों के माध्यम से प्रयास करना।
- प्रत्येक ब्लॉक से प्राप्त गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविरों के संचालन से सम्बन्धित प्रस्ताव की जाँच कर अधिकतम शिविरों की संख्या निर्धारित कर अविलम्ब स्वीकृति जारी कर समग्र सूचना परिषद् मुख्यालय को प्रेषित करना।
- जिलाधीश की अध्यक्षता में होने वाली जिला निष्पादक समिति की बैठकों में विशेष प्रशिक्षण शिविरों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करना एवं समीक्षा करवाकर सुधारात्मक उपाय करना।
- परिषद् कार्यालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार वित्तीय अनुशासन को ध्यान में रखते हुए भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य प्राप्त करना।
- अग्रिम राशि व समायोजन संबंधी रिकार्ड संधारण करना।
- जिले में संचालित गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविरों में से 15 प्रतिशत शिविरों का मासिक निरीक्षण करना।
- जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय में पदस्थापित सहायक लेखाधिकारी द्वारा सभी विशेष प्रशिक्षण शिविरों का संचालन अवधि के दौरान एक बार औचक निरीक्षण करवाना।
- किसी भी प्रकार की दुर्घटना घटित होने पर तुरन्त उच्चाधिकारियों को सूचित करना।
- शिविर में नामांकित बच्चों की सूचना शाला दर्पण पोर्टल पर निर्धारित मॉड्यूल में सीबीईओ से निम्न प्रक्रिया के अनुसार प्रविष्ट करवाना सुनिश्चित करेंगे -

CBE0 Login → Management → School → विशेष प्रशिक्षण शिविर संचालित करने वाले विद्यालय / एनजीओ की प्रविष्टि।

2. सीबीईओ का दायित्व :-

- अपने ब्लॉक के 6-14 आयु वर्ग के समस्त बालक-बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति (शिक्षा से जुड़े हुए एवं शिक्षा से वंचित) का रिकार्ड रखना एवं उनको शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु अपने अधीनस्थों के माध्यम से प्रयास करना।
- ग्रामीण क्षेत्र में पीईईओ (सीआरसी) एवं शहरी क्षेत्र के सीआरसी से प्राप्त विशेष प्रशिक्षण शिविर प्रारंभ का प्रस्ताव अनुमोदन एवं स्वीकृति हेतु जिला कार्यालय को प्रेषित करना।
- ब्लॉक में विशेष प्रशिक्षण शिविरों की अधिकतम संख्या निर्धारित कर अविलम्ब समग्र सूचना जिला मुख्यालय को प्रेषित करना।
- अपने ब्लॉक में एक आर.पी. को वैकल्पिक शिक्षा प्रभारी नियुक्त कर विशेष प्रशिक्षण शिविर सम्बन्धी निम्न व्यवस्थाएं करना:-
 - विशेष प्रशिक्षण सम्बन्धी व्यवस्थाओं का इम्लिमेन्टेशन/ मॉनिटरिंग।
 - ब्लॉक स्तर पर विशेष प्रशिक्षण का कार्य करने वाले एज्यूकेशन वॉलन्टियर की मासिक बैठक का ब्लॉक स्तर पर आयोजन एवं रिकार्ड संधारण करना तथा रिपोर्ट जिला स्तर पर भिजवाना।
 - परिषद् के प्रशिक्षण शाखा द्वारा तैयार मॉड्यूल के अनुसार एज्यूकेशन वॉलन्टियर के प्रशिक्षण की ब्लॉक स्तर पर व्यवस्था करना।
 - विशेष प्रशिक्षण शिविरों का शत-प्रतिशत निरीक्षण कर भौतिक सत्यापन कर तथा निरीक्षण के दौरान परिलक्षित कमजोर पहलू को दूर कर व्यवस्थाओं को सशक्त बनाने में सहयोग करना।
- परिषद् कार्यालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार वित्तीय अनुशासन को ध्यान में रखते हुए भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य प्राप्त करना।

- f. शिविर हेतु किए गए व्ययों का तथा अग्रिम राशि का निश्चित समयावधि में समायोजन कराना एवं रिकार्ड रखना।
- g. एस.डी.एम. की अध्यक्षता में होने वाली ब्लॉक निष्पादक समिति की बैठकों में विशेष प्रशिक्षण शिविरों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत कर समीक्षा करवाना।
- h. बाह्य जाँच दल का गठन कर विशेष प्रशिक्षण शिविरों में पंजीकृत विद्यार्थियों के कक्षा स्तर का आकलन कराना तथा उनकी मैनस्ट्रीम कराने के बाद शाला दर्पण पोर्टल पर परिशिष्ट-8 के अनुसार एंट्री की ट्रेकिंग करना।
- i. किसी भी प्रकार की दुर्घटना घटित होने पर तुरन्त उच्चाधिकारियों को सूचित करना।
- j. शिविर में नामांकित बच्चों की सूचना शाला दर्पण पोर्टल पर निर्धारित मॉड्यूल में सीबीईओ द्वारा निम्न प्रक्रिया के अनुसार प्रविष्ट करेंगे -

CBE0 Login → Management → School → विशेष प्रशिक्षण शिविर संचालित करने वाले विद्यालय / एनजीओ की प्रविष्टि।

3. ग्रामीण क्षेत्र में पीईईओ (सीआरसी) एवं शहरी क्षेत्र के सीआरसी /संस्था प्रधान के दायित्व:-

- a. अपने ग्राम पंचायत/ वार्ड के 6-14 आयु वर्ग के समस्त बालक-बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति (शिक्षा से जुड़े हुए एवं शिक्षा से वंचित) का रिकार्ड रखना एवं उनको शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु अपने अधीनस्थों के माध्यम से प्रयास करना।
- b. शिक्षा से वंचित बालक-बालिकाओं की प्राप्त संख्या के आधार पर ग्राम पंचायत/ वार्ड में विशेष प्रशिक्षण शिविरों की अधिकतम संख्या निर्धारित करना।
- c. विशेष प्रशिक्षण शिविर (आवासीय/ गैर आवासीय) हेतु स्थान चयन करना एवं एज्यूकेशन वॉलन्टियर की संख्या का निर्धारण करना तथा एसएमसी के माध्यम से एज्यूकेशन वॉलन्टियर एवं सहायक एज्यूकेशन वॉलन्टियर का चयन करना।
- d. एसएमसी के द्वारा विशेष प्रशिक्षण शिविर (आवासीय/ गैर आवासीय) हेतु प्रस्ताव प्राप्त कर जाँच के बाद स्वीकृति हेतु सीबीईओ के माध्यम से जिला परियोजना समन्वयक को भिजवाना।
- e. शिविर संबंधी समस्त आवश्यक पूर्व तैयारी एवं व्यवस्था (यथा भोजन/ अकादमिक/ सुरक्षा/ मूलभूत सुविधा) आदि सुनिश्चित करना।
- f. विशेष प्रशिक्षण शिविरों का शत-प्रतिशत निरीक्षण कर भौतिक सत्यापन करना तथा इस दौरान परिलक्षित कमजोर पहलू को दूर कर व्यवस्थाओं को सशक्त बनाने में सहयोग करना।
- g. प्रत्येक विशेष प्रशिक्षण शिविर के प्रारम्भिक 7 दिवस के संचालन हेतु अधीनस्थ विद्यालयों में कार्यरत किसी एक शिक्षक को शिविर संबंधी कार्य हेतु नामित करना (यह शिक्षक यथा संभव नामांकित विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में शिक्षकों के आधिक्य वाले विद्यालय से हो)।
- h. एज्यूकेशन वॉलन्टियर की अनुपस्थिति/प्रशिक्षण आदि में भाग लेने की दशा में विशेष प्रशिक्षण शिविर हेतु वैकल्पिक व्यवस्था करना।
- i. शिविर स्थल की एस.एम.सी. की निगरानी में संस्था प्रधान द्वारा विशेष प्रशिक्षण शिविर की समीक्षा हेतु द्विमासिक पी.टी.ए. बैठक का आयोजन एवं रिकार्ड संधारण कराना।
- j. बाह्य मूल्यांकन उपरान्त प्रत्येक विशेष प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षणरत विद्यार्थियों की परिशिष्ट-8 के अनुसार शाला दर्पण पोर्टल पर एंट्री करना।
- k. परिषद् कार्यालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार वित्तीय अनुशासन को ध्यान में रखते हुए भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य प्राप्त करना।



- l. शिविर हेतु किए गए व्ययों का तथा अग्रिम राशि का निश्चित समयावधि में समायोजन कराना एवं रिकार्ड संधारण करना।
- m. बाह्य जाँच दल के कार्य में सहयोग करते हुए विशेष प्रशिक्षण शिविरों में पंजीकृत विद्यार्थियों के कक्षा स्तर का आकलन कराना तथा उनकी मैनस्ट्रीम कराने के बाद शाला दर्पण पोर्टल पर अंकन एवं ट्रेकिंग करना।
- n. मैनस्ट्रीम किये गये समस्त बालक-बालिकाओं के आधार नम्बर की शाला दर्पण पोर्टल पर प्रविष्टि करना।
- o. शिविर समाप्ति पर समस्त अभिलेख सुरक्षित रखना।
- p. किसी भी प्रकार की दुर्घटना घटित होने पर तुरन्त उच्चाधिकारियों को सूचित करना।

4. विद्यालय प्रबन्धन समिति के दायित्व:-

- a. अपने कैचमेन्ट एरिया के 6-14 आयु वर्ग के समस्त बालक-बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति (शिक्षा से जुड़े हुए एवं शिक्षा से वंचित) का रिकार्ड तैयार करना।
- b. एज्यूकेशन वॉलन्टियर के चयन से पूर्व व्यापक प्रचार-प्रसार करवाना एवं एज्यूकेशन वॉलन्टियर तथा सहायक एज्यूकेशन वॉलन्टियर का चयन करना।
- c. एज्यूकेशन वॉलन्टियर की अनुपस्थिति/ प्रशिक्षण आदि में भाग लेने की दशा में ग्रामीण क्षेत्र में पीईईओ (सीआरसी) एवं शहरी क्षेत्र के सीआरसी के निर्देशानुसार वैकल्पिक व्यवस्था करना।
- d. शिविर स्थल की एसएमसी के प्रधानाध्यापक द्वारा प्रतिदिन विशेष प्रशिक्षण शिविर में उपस्थित बालक-बालिकाओं एवं एज्यूकेशन वॉलन्टियर की उपस्थिति का प्रमाणीकरण करना एवं शिविर में पंजीकृत विद्यार्थियों की उपस्थिति प्रति माह उस विद्यालय को प्रेषित करना जहां उनका नामांकन आयु अनुरूप कक्षा में कराया गया है।
- e. परिषद् कार्यालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार वित्तीय अनुशासन को ध्यान में रखते हुए भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य प्राप्त करना।
- f. शिविर स्थल की एस.एम.सी. द्वारा विशेष प्रशिक्षण शिविर संचालन हेतु आवश्यक सामग्री का नियमानुसार क्रय करना, वित्तीय कार्य हेतु जी.एफ. एण्ड ए.आर. की पालना करना, शिविर हेतु किए गए व्ययों एवं प्राप्त अग्रिम राशि का निश्चित समयावधि में समायोजन कराना, उपलब्ध कराए जाने वाले भोजन एवं अन्य सामग्री की गुणवत्ता बनाए रखना तथा विशेष प्रशिक्षण शिविर के दौरान समस्त सामग्री एवं अभिलेख सुरक्षित रखना।
- g. शिविर स्थल की एस.एम.सी. की निगरानी में संस्था प्रधान द्वारा विशेष प्रशिक्षण शिविर की समीक्षा हेतु द्विमासिक पी.टी.ए. बैठक का आयोजन कर रिकार्ड संधारण करना।
- h. किसी भी प्रकार की दुर्घटना घटित होने पर तुरन्त उच्चाधिकारियों को सूचित करना।

5. एज्यूकेशन वॉलन्टियर/ शिक्षक के दायित्व :-

- a. विशेष प्रशिक्षण शिविर में पंजीकृत समस्त बालक-बालिकाओं का आधार नामांकन करवाना।
- b. विशेष प्रशिक्षण शिविर में पंजीकृत बालक-बालिकाओं का शिविर प्रारम्भ में कक्षा स्तर निर्धारण हेतु सीसीई पैटर्न के अनुसार लिखित में आकलन कर रिकार्ड संधारण करना।
- c. पंजीकृत विद्यार्थियों के आकलन अनुसार निर्धारित कक्षा स्तर से आगे की दक्षताओं के विकास के लिए शैक्षिक योजना तैयार कर रिकार्ड संधारित करना।
- d. विशेष प्रशिक्षण शिविर में पंजीकृत बालक-बालिकाओं का शिविर प्रारम्भ में पोर्टफोलियो तैयार कर प्रतिमाह अपडेट करना।

- पीटीए में बालक-बालिका की उपस्थिति, शैक्षिक उपलब्धि तथा उनके ठहराव पर विशेष चर्चा कर बैठक का कार्यवृत्त संधारित करना।
- अनुपस्थित रहने वाले बालक-बालिकाओं के अभिभावकों से सम्पर्क कर परिशिष्ट-4 के अनुसार रिकार्ड संधारित करना।
- निर्धारित समस्त अभिलेख संधारण करना।
- शिविर-विद्यार्थियों की सुरक्षा, शिक्षण एवं अन्य आवश्यक व्यवस्था करना।
- ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण/ बैठकों में भाग लेना।
- भामाशाह को प्रेरित कर आवश्यक सहयोग लेना।
- किसी भी प्रकार की दुर्घटना घटित होने पर तुरन्त उच्चाधिकारियों को सूचित करना।

(8) अभिलेख संधारण:-

- विशेष प्रशिक्षण शिविर में निम्नानुसार अभिलेख संधारित करें:-

- स्टाफ उपस्थिति पंजिका
- अस्थाई/ स्थाई सामग्री रजिस्टर
- छात्र/छात्रा पोर्टफोलियो
- पी.टी.एम./ प्रशिक्षण आदि रिपोर्ट पंजिका
- विद्यार्थी आवागमन पंजिका
- बालक/बालिका उपस्थिति पंजिका
- विद्यार्थी व्यक्तिगत शैक्षिक योजना पंजिका
- आवक/जावक पंजिका
- समय विभाग चक्र
- आगन्तुक पंजिका
- कैश बुक

- सीबीईओ उक्त रिकार्ड संधारण हेतु एज्यूकेशन वॉलेंटियर की सहायता के लिए एक आर.पी. को नामित करे एवं शिविर समाप्ति पर यह समस्त रिकार्ड ग्रामीण क्षेत्र में पीईईओ (सीआरसी) एवं शहरी क्षेत्र के सीआरसी कार्यालय में संधारित रहेगा।

(9) सत्र 2020-21 हेतु लक्ष्य:- वित्तीय वर्ष 2020-21 में निम्न जिलों में गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर संचालित किए जाएंगे, जिनका जिलेवार संख्यात्मक स्वीकृत लक्ष्य निम्नानुसार है:-

Non-Residential Special Training Center for OoSC (NRSTC)							
S.N.	District	3 Months		6 Months		Total	
		Physical	Financial @ Rs. 1500/-	Physical	Financial @ Rs. 3000/-	Physical	Financial in lac
1	Ajmer	200	3.00	200	6.00	400	9.000
2	Alwar	500	7.50	300	9.00	800	16.500
3	Banswara	300	4.50	200	6.00	500	10.500
4	Baran	200	3.00	150	4.50	350	7.500
5	Barmer	300	4.50	200	6.00	500	10.500
6	Bharatpur	300	4.50	200	6.00	500	10.500
7	Bhilwara	300	4.50	200	6.00	500	10.500
8	Bikaner	300	4.50	300	9.00	600	13.500
9	Bundi	200	3.00	200	6.00	400	9.000
10	Chittaurgarh	300	4.50	150	4.50	450	9.000
11	Churu	400	6.00	600	18.00	1000	24.000
12	Dausa	150	2.25	150	4.50	300	6.750
13	Dholpur	300	4.50	400	12.00	700	16.500
14	Dungarpur	200	3.00	100	3.00	300	6.000
15	Ganganagar	300	4.50	500	15.00	800	19.500
16	Hanumangarh	500	7.50	200	6.00	700	13.500
17	Jaipur	300	4.50	400	12.00	700	16.500
18	Jaisalmer	300	4.50	100	3.00	400	7.500
19	Jalor	300	4.50	400	12.00	700	16.500
20	Jhalawar	100	1.50	200	6.00	300	7.500
21	Jhunjhunun	100	1.50	200	6.00	300	7.500
22	Jodhpur	200	3.00	200	6.00	400	9.000
23	Karauli	150	2.25	150	4.50	300	6.750
24	Kota	200	3.00	100	3.00	300	6.000

Non-Residential Special Training Center for OoSC (NRSTC)							
S.N.	District	3 Months		6 Months		Total	
		Physical	Financial @ Rs. 1500/-	Physical	Financial @ Rs. 3000/-	Physical	Financial in lac
25	Nagaur	200	3.00	200	6.00	400	9.000
26	Pali	200	3.00	100	3.00	300	6.000
27	Pratapgarh	150	2.25	50	1.50	200	3.750
28	Rajsamand	200	3.00	100	3.00	300	6.000
29	S.madhapur	100	1.50	200	6.00	300	7.500
30	Sikar	300	4.50	200	6.00	500	10.500
31	Sirohi	300	4.50	200	6.00	500	10.500
32	Tonk	200	3.00	100	3.00	300	6.000
33	Udaipur	600	9.00	400	12.00	1000	21.000
	TOTAL	8650	129.75	7350	220.50	16000	350.2500

(10) बजट :-

**Non-Residential Special Training
Break up of unit cost for 3 Months
(Per child unit cost @Rs. 1500/- & phy. 15 to 29 children in a center)**

S.N.	Items	Remarks
1	Salary of EV	(a) If the student no. is 1 to 15, then Rs.12/- per working day per child or Rs. 4500/- per month, whichever is less, will be paid to EV. (b) If the student no. becomes 16 to 20, then Rs.12/- per working day per child or Rs. 5000/- per month, whichever is less, will be paid to EV. (c) If the student no. becomes 21 to 25, then Rs.12/- per working day per child or Rs. 5500/- per month, whichever is less, will be paid to EV. (d) If the student no. becomes 26 to 29, then Rs.12/- per working day per child or Rs. 6000/- per month, whichever is less, will be paid to EV.
2	Salary of Asst. EV	(a) If the student no. is 21, then Rs. 1000/- per month will be paid to Asst. EV. (b) If the student no. becomes 22 to 29, then extra Rs.10/- per working day per child will be paid to Asst. EV.
3	Training of EV	Maximum Rs. 50/- per day (to meet the fare of going to BEEO office during training).
4	Special Training Learning Material (Condense Course) @ Rs. 350/- per class per child, as per state norms.	As per requirement of OoSc.
5	Management & Miscellaneous & other sundry expenses for three months.	As per requirement the rest amount will be used for management & misscelleneous expenses such as TLM, Stationary , Contingency & Medical etc.

**Non-Residential Special Training
Break up of unit cost for 6 Months
(Per child unit cost @Rs. 3000/- & phy. 15 to 29 children in a center)**

S.N.	Items	Remarks
1	Salary of EV	a) If the student no. is 1 to 15, then Rs.12/- per working day per child or Rs. 4500/- per month, whichever is less, will be paid to EV. b) If the student no. becomes 16 to 20, then Rs.12/- per working day per child or Rs. 5000/- per month, whichever is less, will be paid to EV. c) If the student no. becomes 21 to 25, then Rs.12/- per working day per child or Rs. 5500/- per month, whichever is less, will be paid to EV. d) If the student no. becomes 26 to 29, then Rs.12/- per working day per child or Rs. 6000/- per month, whichever is less, will be paid to EV.
2	Salary of Asst. EV	(a) If the student no. is 21, then Rs. 1000/- per month will be paid to Asst. EV. (b) If the student no. becomes 22 to 29, then extra Rs.10/- per working day per child will be paid to Asst. EV.
3	Training of EV	Maximum Rs. 50/- per day (to meet the fare of going to BEEO office during training).
4	Special Training Learning Material (Condense Course) @ Rs. 350/- per class per child, as per state norms.	As per requirement of OoSc.
5	Management & Miscellaneous & other sundry expenses for three months.	As per requirement the rest amount will be used for management & misscelleneous expenses such as TLM, Stationary , Contingency & Medical etc.

(11) वित्तीय सतर्कता:-

- a. पीएबी 2020-21 में गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर 3 माह हेतु बजट प्रावधान 1500/- रुपये प्रति बालक-बालिका, 6 माह हेतु बजट प्रावधान 3000/- रुपये प्रति बालक-बालिका स्वीकृत किया गया है।
- b. नियमितरूप से काम आने वाली सामग्री यथा- चॉक, डस्टर, रोलर बोर्ड, चार्ट आदि तथा विज्ञान एवं गणित किट की व्यवस्था यथा संभव सम्बन्धित विद्यालय द्वारा उपलब्ध करायी जाये।
- c. विशेष प्रशिक्षण शिविर में बालक-बालिकाओं की संख्या के आधार पर आनुपातिक व्यय स्वीकृत होगा। बचत होने की स्थिति में भौतिक लक्ष्य बढ़ाए जा सकेंगे, परन्तु इसकी अनुमति परिषद् कार्यालय से प्राप्त करनी होगी।
- d. विशेष प्रशिक्षण शिविर का सम्पूर्ण व्यय प्रोक्चोरमेन्ट निर्देशों के अनुसार शिविर स्थल की एसएमसी द्वारा किया जायेगा।
- e. क्रय की गई सामग्री की गुणवत्ता एवं उपयोगिता हेतु शिविर स्थल के एसएमसी अध्यक्ष, सचिव एवं सम्बन्धित ग्रामीण क्षेत्र में पीईईओ (सीआरसी) एवं शहरी क्षेत्र के सीआरसी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
- f. उपर्युक्त बजट सारणी के बिन्दु संख्या 4 में वर्णित राशि संचनित पाठ्यक्रम मुद्रण हेतु प्राविधिक है।
- g. विशेष प्रशिक्षण शिविर (आवासीय/ गैर आवासीय) हेतु अग्रिम राशि के हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्थित अभिलेख जिला एवं ब्लॉक/एस.एम.सी. (शिविर स्थल) स्तर पर संचारित किए जावे, जिसमें (1) अग्रिम राशि किस उद्देश्य के लिए दी गई है, (2) वास्तव में हुआ व्यय (3) अग्रिम में से हुए व्यय के समायोजन पश्चात् शेष राशि तथा (4) उपयोगिता प्रमाण जारी होने का उल्लेख हो।
- h. निश्चित अवधि के बाद बिना सक्षम स्वीकृति के विशेष प्रशिक्षण शिविर नहीं चलाये जाए।
- i. विशेष प्रशिक्षण शिविर के व्यय बिलों के भुगतान से पूर्व बालक/बालिकाओं की उपस्थिति रजिस्टर से प्रमाणित फोटो प्रति संलग्न करवाई जाकर तथा समय-समय पर उच्च अधिकारियों द्वारा किए गये पर्यवेक्षण को ध्यान में रखा जाकर औसत उपस्थिति के आधार पर भुगतान किया जायेगा।
- j. विशेष प्रशिक्षण शिविर के समस्त व्यय बिलो पर एसएमसी (शिविर स्थल) के अध्यक्ष एवं सचिव के हस्ताक्षर अंकित होंगे। उपयोगिता प्रमाण पत्र पर दिनांक एवं डिस्पेच नम्बर अंकित किए जाए तथा उस पर ग्रामीण क्षेत्र में पीईईओ (सीआरसी) एवं शहरी क्षेत्र के सीआरसी एवं सीबीईओ के प्रति हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे।
- k. विशेष प्रशिक्षण शिविर में किए गए समस्त व्यय का भुगतान बैंक द्वारा बैंक खाते के माध्यम से किया जायेगा।
- l. विशेष प्रशिक्षण शिविर हेतु किए गए व्ययों का निश्चित समयावधि में समायोजन करवाने हेतु सम्बन्धित प्रभारी अधिकारी (ग्रामीण क्षेत्र में पीईईओ (सीआरसी) एवं शहरी क्षेत्र के सीआरसी) जिम्मेदार होगा।
- m. असमायोजित राशि को ब्लॉक/एस.एम.सी (शिविर स्थल) से प्राप्त कर जिला कार्यालय के लेखों में प्रविष्टि की जाए।
- n. विशेष प्रशिक्षण शिविर में आवंटित मद अनुसार निर्धारित बजट से अधिक व्यय नहीं किया जाए। अधिक व्यय किए जाने पर सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाकर वसूली की जाएगी।
- o. गतिविधि के संचालन हेतु राशि की और आवश्यकता होने पर पुनर्विनियोजन प्रस्ताव परिषद् को समय रहते भिजवाये जाए, जिससे भुगतान प्रक्रिया बिना विलम्ब के पूर्ण हो सके।

- p. अनावश्यक भुगतान रोके जाने एवं उसी वित्तीय वर्ष में भुगतान नहीं होने पर, अगले वित्तीय वर्ष में भुगतान करने की स्वीकृति नहीं दी जाएगी।
- q. इन दिशा निर्देशों के अनुसार गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर (3 माह, 6 माह) का संचालन किया जायेगा। दिशा निर्देशों की शत-प्रतिशत पालना सुनिश्चित की जाये।
- r. संलग्न परिशिष्टानुसार विद्यालय / ब्लॉक से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर संकल रूप से जिला उपयोगिता प्रमाण पत्र कर परिषद का प्रेषित करें।
- s. क्रय की जाने वाली सामग्री क्रय में “राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013” की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावें।
- t. राशि का उपयोग गतिविधि व एमएचआरडी के दिशा निर्देशानुसार एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुये विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित करें।
- विशेष – कोविड-19 के कारण भारत, राज्य सरकार एवं स्वास्थ्य मंत्रालय से जारी दिशा निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करें।
- विद्यालय खोलने के सम्बन्ध में राज्य सरकार के निर्देशानुसार कार्य किया जाना है। विशेष परिस्थिति एवं कोविड-19 को ध्यान में रखते हुये तत्समयानुसार परिषद से पृथक से पत्र जारी कर शिविर संचालन के सम्बन्ध में अवगत करा दिया जायेगा।

संलग्न :- (परिशिष्ट 1-9)

(बाबू लाल भीणा)
राज्य परियोजना निदेशक

क्रमांक:- राप्राशिप/जय/वै.शि./NRSTC दिशा निर्देश/ /2020-21/ 13840

दिनांक:-18/8/2020

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. निजी शासन सचिव, राजस्थान स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
3. निजी सहायक अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
4. नियन्त्रक वित्त एवं लेखा, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. उपायुक्त (योजना) राजस्थान शिक्षा परिषद, जयपुर।
6. जिला प्रभारी अधिकारी, समस्त जिले।
7. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
8. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
9. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, समस्त ब्लॉक।
10. समस्त पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (सीआरसी)/शहरी सीआरसी।
11. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक-द्वितीय

..... विशेष प्रशिक्षण शिविर संचालन प्रस्ताव

(प्रस्ताव सीआरसी अपने क्षेत्र की एस.एम.सी. से तैयार कराकर CBEO (मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी) को एवं CBEO द्वारा ADPC को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जाएगा।)

- | | | |
|--|--------|------------------------------|
| 1. नाम जिला :- | ब्लाक- | सीआरसी- |
| 2. स्थान का नाम, जहाँ शिविर संचालित किया जाएगा - | | शिविर का प्रकार - गैर आवासीय |
| 3. शिविर संचालन करने वाली एस.एम.सी. का नाम - | | अवधि - 3 माह / 6 माह |
| 4. विवरण- | | |

सूची

क. सं.	नाम बालक/बालिका	पिता का नाम	जन्म तिथि	वास स्थान का नाम	VER / WER में दर्ज क्रमांक	हाउस होल्ड सर्वे में दर्ज क्रमांक	विद्यालय का नाम जिसमें नामांकित कराया गया है।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि

- (1) ये सब बालक/बालिकाएँ हाउस होल्ड सर्वे में शिक्षा से वंचित बालक-बालिका के रूप में चिह्नित है।
- (2) सूची में अंकित बालक/बालिकाओं का विशेष प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से दक्षता विकसित करवाकर शिक्षा की मुख्यधारा में वास्तविक नामांकन सुनिश्चित किया जाना है।

हस्ताक्षर
सीबीईओ

हस्ताक्षर
सीआरसी

हस्ताक्षर
शिविर स्थल एसएमसी अध्यक्ष

परिशिष्ट 2

पंजीयन प्रपत्र एवं प्रोफाइल

प्रपत्र-1

गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर प्रारम्भ होने से पूर्व शिक्षा से वंचित बालक/ बालिकाओं के नामांकन वाले विद्यालय में भरा जाये।

1. जिला
2. ब्लॉक/पंचायत समिति
3. ग्राम पंचायत/वार्ड का नाम
4. ग्राम का नाम
5. बालक/बालिका का नाम
6. पिता/माता का नाम
7. जन्म दिनांक
8. वर्ग - SC/ST/OBC/Minority/Gen. लिंग
9. पूर्व में अनामांकित/ ड्रॉप आउट यदि ड्रॉप आउट है तो अन्तिम कक्षा विद्यालय
10. बालक/बालिका को आयु अनुरूप कक्षा में नामांकित करने वाले विद्यालय का नाम कक्षा
11. वास्तविक दक्षता जाँच अनुसार कक्षा स्तर
12. बालक/बालिका के निवास स्थान का पता विद्यालय की दूरी (KM में)
13. आवासीय/ गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण स्थल का नाम
14. मैं उपर्युक्त विवरणानुसार आयु अनुरूप कक्षा स्तर की दक्षता विकसित करने हेतु अपने पुत्र/ पुत्री को आवासीय/ गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर में रखने हेतु सहमत हूँ।

पासपोर्ट
साईज का फोटो

हस्ताक्षर
अभिभावक

15. जाँच के उपरान्त प्रमाणित किया जाता है कि उक्त बालक/बालिका गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर (3 माह/ 6 माह) में प्रवेश लायक है एवं इसका नाम CTS संबंधी VER/ WER में क.सं. पर दर्ज है एवं दोहरा नामांकन नहीं है।
दिनांक

हस्ताक्षर
शिविर स्थल एस.एम.सी. सचिव
(संस्था प्रधान)

हस्ताक्षर
अध्यक्ष एस.एम.सी.

हस्ताक्षर
सीआरसीएफ

हस्ताक्षर
सीबीईओ

प्रपत्र-2

(विशेष प्रशिक्षण शिविर स्थल पर एज्यूकेशन वॉलन्टियर द्वारा भरा जायेगा)

1. शिक्षा से वंचित रहने के कारण :-
2. सावधिक आकलन (प्रतिमाह भरा जावे) :-
(a) विषयगत:-

विषय	प्रवेश के समय (कक्षा अंकित करें)	प्रथम मासिक टेस्ट के बाद	द्वितीय मासिक टेस्ट के बाद	तृतीय मासिक टेस्ट के बाद	अन्तिम आकलन	एज्यूकेशन वॉलन्टियर द्वारा अपनाये गये उपचारात्मक मापदण्ड
भाषा						
गणित						
पर्यावरण						
सामाजिक विज्ञान						
कला शिक्षा/ शारीरिक शिक्षा						

* A अच्छा, B संतोषजनक, C सुधार अपेक्षित

- (b) उपस्थिति:-

कुल कार्य दिवस	प्रथम माह की उपस्थिति	द्वितीय माह की उपस्थिति	तृतीय माह की उपस्थिति	योग

3. मैनस्ट्रिमिंग का विवरण (विशेष प्रशिक्षण के पूर्ण होने के बाद) :-
 1. विद्यालय :-
 2. कक्षा :-
 3. प्रवेश क्रमांक एवं दिनांक :-
 4. मैनस्ट्रिमिंग नहीं होने की स्थिति में कारण :-

हस्ताक्षर
एज्यूकेशन वॉलन्टियर

हस्ताक्षर
शिविर स्थल संस्था प्रधान

परिशिष्ट 3

एज्यूकेशन वालिन्टियर- अभिभावक दिव्मासिक बैठक रजिस्टर प्रपत्र

1. विद्यार्थियों का निम्न विवरण तैयार करें:-

क्र.सं.	नाम	कक्षा	दिव्मासिक कुल उपस्थिति	अध्ययन प्रगति	समस्या विवरण

2. अन्य चर्चा के बिन्दुओं का विवरण :-

.....
.....

हस्ताक्षर
अभिभावक

हस्ताक्षर
SMC अध्यक्ष

हस्ताक्षर
SMC सचिव

हस्ताक्षर
EV/ वार्डन

परिशिष्ट 4

एज्यूकेशन वालिन्टियर द्वारा अभिभावक से किए गए सम्पर्क का रजिस्टर

क्र. सं.	सम्पर्क की दिनांक	बालक- बालिका का नाम	अभिभावक का नाम एवं मोबाईल नम्बर	संपर्क का उद्देश्य	सम्पर्क के दौरान हुई वार्ता का संक्षिप्त विवरण	अभिभावक के हस्ताक्षर	एज्यूकेशन वालिन्टियर के हस्ताक्षर

परिशिष्ट 5

बालक/बालिकाओं का आवागमन का रजिस्टर

क्र. सं.	बालक/ बालिका का नाम	शिविर स्थल से जाने की दिनांक	शिविर स्थल से जाने का कारण	विद्यार्थी से संबंध	ले जाने वाले के हस्ताक्षर	आने की तिथि एवं समय	हस्ताक्षर एज्यूकेशन वालिन्टियर

**गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर (NRSTC)
उपयोगिता प्रमाण-पत्र (विद्यालय स्तर)**

विद्यालय का नाम यू डाईस कोड.....
गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर हेतु प्राप्त राशि दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2020-21 में प्राप्त गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर राशि रु. का उपयोग एसएमसी/एसडीएमसी के द्वारा कर लिया गया है। उपयोग की गई राशि..... है एवं शेष राशि व पूर्व अवशेष राशि रु0 कुल राशि रु0 बची थी जिसे चालान/चैक/डिमाण्ड ड्रॉफ्ट संख्या..... दिनांक द्वारा समर्पित कर दिया गया है / जमा करा दिया है, इसका आगामी वर्ष में देय सहायता अनुदान में समायोजित कर लिया जायेगा।

क्र. सं.	माह का नाम	बिल संख्या व दिनांक	फर्म का नाम	नाम सामग्री	मात्रा/ संख्या	दर	राशि (रुपये)	उपयोग का विवरण	भण्डार पंजिका में इन्द्राज		वि. वि.
									पृ.सं.	दिनांक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त सामग्री परिषद् द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार एसएमसी/एसडीएमसी के प्रस्ताव संख्या दिनांक के अनुरूप क्रय की गई है जिसका अनुमोदन एसएमसी/एसडीएमसी के द्वारा दिनांक द्वारा किया गया। साथ ही उक्त विद्यालय शून्य नामांकन का नहीं है।

हस्ताक्षर
सचिव
एसएमसी/एसडीएमसी

हस्ताक्षर
अध्यक्ष
एसएमसी/एसडीएमसी

नोट:- बैंक से प्राप्त ब्याज का आहरण न करें। इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे।

कार्यालय ब्लॉक जिला

**गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर (NRSTC)
उपयोगिता प्रमाण-पत्र (ब्लॉक स्तर)**

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2020-21 में ब्लॉक जिला के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में संचालित कुल गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर संचालन हेतु जारी की गई राशि का उपयोग संबंधित संस्था प्रधान द्वारा गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर हेतु परिषद् से जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जाकर निर्धारित प्रपत्र में यू.सी. प्राप्त कर ली गई है जिसके आधार पर एकजाई उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रस्तुत है :-

क्रसं	विद्यालय का नाम	डाईस कोड	विद्यालय का प्रकार प्रावि/उप्रावि/मावि/उमावि	गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर (NRSTC)			वि. वि.
				प्राप्त राशि	व्यय राशि	शेष राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8
योग							

हस्ताक्षर
सहायक लेखाधिकारी
सीबीईओ कार्यालय

हस्ताक्षर
मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
ब्लॉक कार्यालय

**गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर (NRSTC)
उपयोगिता प्रमाण-पत्र (जिला स्तर)**

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2020-21 में जिला को गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर मद में प्राप्त राशि रुपये में से कुल गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर (NRSTC) को कुल राशि जारी की गई एवं राशि के उपयोगिता पश्चात शेष राशि एवं पूर्व वर्ष की शेष बचत राशि का प्रमाण पत्र प्राप्त कर कैश बुक की पृष्ठ संख्या पर समायोजन किया जा चुका है। जिला स्तर पर गत सत्र की बचत राशि एवं वर्तमान सत्र की बचत राशि कुल राशि बचत राशि जिले पर उपलब्ध है।

उक्त राशि का व्यय परिषद् से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुरूप ही किया गया है तथा प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर जिले द्वारा एमपीआर में मासिक आधार पर व्यय की प्रविष्टि की जा रही है। दोनों राशियों में अन्तर होने पर हस्ताक्षरकर्ता जिम्मेदार है।

हस्ताक्षर
सहायक परियोजना समन्वयक/प्रभारी

.....

हस्ताक्षर
अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक

.....

हस्ताक्षर
सहायक लेखाधिकारी

.....

हस्ताक्षर
जिला परियोजना समन्वयक

.....

